

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2016—आषाढ़ 31, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. 20773-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016 (क्रमांक 17 सन् 2016) को उससे सम्बद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तदनुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १७ सन् २०१६

## मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक-३ ) विधेयक, २०१६

वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-३) अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,४३,६७,५४,२४,९०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चौदह हजार तीन सौ सड़सठ करोड़ चौवन लाख चौबीस हजार नौ सौ केवल होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची  
( धारा २ और ३ देखिये )

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
०१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व २,५६,८०,४००	१,१२,६५,७००	३,६९,४६,१००
०२.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व २००	०	२००
०३.	पुलिस	राजस्व ९७,४१,४७,९०० पूंजी ९०,००,००,०००	० ०	९७,४१,४७,९०० ९०,००,००,०००
०४.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व ६,००,४७,०००	०	६,००,४७,०००
०६.	वित्त	राजस्व ३००	०	३००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	४,९२,००,०००	०	४,९२,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	६,७०,५६,१००	०	६,७०,५६,१००
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व	२,६३,१८,०५,०००	५६,७८,४००	२,६३,७४,८३,४००
		पूंजी	७,०१,१३,००,०००	०	७,०१,१३,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	१०,००,००,००,०००	०	१०,००,००,००,०००
		पूंजी	२१,००,००,०००	०	२१,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	१३,३१,००,००,१००	०	१३,३१,००,००,१००
१५.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,४६,६७,३२,०००	०	४,४६,६७,३२,०००
१६.	मछली पालन	राजस्व	९०,००,०००	०	९०,००,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व	८,६०,२५,००,०००	०	८,६०,२५,००,०००
		पूंजी	५,६९,६४,३४,०००	०	५,६९,६४,३४,०००
१८.	श्रम	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१००	०	१००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	१,०००	०	१,०००
२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	राजस्व	४,९१,९७,००,२००	०	४,९१,९७,००,२००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२३.	जल संसाधन	पूंजी	५,००,२०,००,५००	०	५,००,२०,००,५००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	राजस्व	१००	०	१००
		पूंजी	१,५०,००,१०,४००	०	१,५०,००,१०,४००
२५.	खनिज साधन	राजस्व	८८,६८,०००	०	८८,६८,०००
२६.	संस्कृति	राजस्व	१०,९५,२५,१००	०	१०,९५,२५,१००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	१३,४५,००,०००	०	१३,४५,००,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व	६,२५,००,०००	१८,००,०००	६,४३,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	७३,२५,३३,०००	७,८५,४०,०००	८१,१०,७३,०००
३२.	जनसंपर्क	राजस्व	१५,००,००,०००	०	१५,००,००,०००
३४.	सामाजिक न्याय	राजस्व	३,१५,०५,६००	०	३,१५,०५,६००
३७.	पर्यटन	पूंजी	१०,००,००,३००	०	१०,००,००,३००
३८.	आयुष	राजस्व	१०,४५,००,०००	०	१०,४५,००,०००
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	२,६६,०८,७३,५००	०	२,६६,०८,७३,५००
		पूंजी	६,४५,००,०००	०	६,४५,००,०००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	राजस्व	२,४००	०	२,४००
		पूंजी	३५,००,००,१००	०	३५,००,००,१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
४१.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	८,२३,२१,३७,८००	०	८,२३,२१,३७,८००
		पूँजी	३,५८,४६,२३,३००	०	३,५८,४६,२३,३००
४२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूँजी	४००	०	४००
४४.	उच्च शिक्षा	पूँजी	१८,६४,००,०००	०	१८,६४,००,०००
४५.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूँजी	८,८००	०	८,८००
४६.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	राजस्व	४९,९७,६१,६००	०	४९,९७,६१,६००
४७.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	राजस्व	५,५४,६२,०००	०	५,५४,६२,०००
		पूँजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूँजी	२,५९,११,५५,१००	०	२,५९,११,५५,१००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	६९,५३,६१,१००	०	६९,५३,६१,१००
५१.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	१,२५,९१,०००	०	१,२५,९१,०००
५२.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व	४,१३,४०,४६,०००	०	४,१३,४०,४६,०००
५४.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राजस्व	३२,८३,००,०००	०	३२,८३,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	१९,९९,७०,४००	०	१९,९९,७०,४००
		पूँजी	४७,४२,५०,०००	०	४७,४२,५०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये		
५६.	ग्रामोद्योग	राजस्व	३,०५,७९,७००	०	३,०५,७९,७००
५७.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें	पूंजी	१२,५०,००,०००	०	१२,५०,००,०००
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१८,७५,८५,००,१००	०	१८,७५,८५,००,१००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	राजस्व	१६,४९,८६,५००	०	१६,४९,८६,५००
		पूंजी	१,९९,९३,६२,४००	०	१,९९,९३,६२,४००
६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	राजस्व	७२,३८,००,०००	०	७२,३८,००,०००
		पूंजी	६८,४०,००,०००	०	६८,४०,००,०००
६४.	अनुसूचित जाति उपयोगना	राजस्व	४,६१,११,७२,५००	०	४,६१,११,७२,५००
		पूंजी	२,१५,३७,३६,३००	०	२,१५,३७,३६,३००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी	४,७३,७१,०००	०	४,७३,७१,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	११,००,००,०००	०	११,००,००,०००
		पूंजी	५००	०	५००
६९.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
७१.	सिंहस्थ २०१६ से संबंधित व्यय	राजस्व	३,६०,००,००,०००	०	३,६०,००,००,०००
		पूंजी	४०,००,००,०००	०	४०,००,००,०००
७३.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	६,४१,००,०००	०	६,४१,००,०००
		पूंजी	५५,७४,००,०००	०	५५,७४,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	
७४.	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	राजस्व १५,३३,८१,४१,०००	०	१५,३३,८१,४१,०००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व २,५०,००,००,०००	६०,००,००,०००	३,१०,००,००,०००
	योग {	राजस्व : १,०९,२४,०५,८६,७००	६९,७२,८४,१००	१,०९,९३,७८,७०,८००
		पूंजी : ३३,७३,७५,५४,१००	०	३३,७३,७५,५४,१००
	वृहद-योग :	१,४२,९७,८१,४०,८००	६९,७२,८४,१००	१,४३,६७,५४,२४,९००

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४(१) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०१६-२०१७ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :  
तारीख २१ जुलाई, २०१६.

जयन्त मलैया  
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

अवधेश प्रताप सिंह  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.